न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0— 95/2014
प्रविष्टि दिनांक —1.8.2014

1. हरली देवी बेवा चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
2. गोपाल पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
3. कन्हैया पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
4. सत्यनारायण पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
5. हरिनारायण पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक

— वादी

बनाम

1. सेन्ट सोल्जर शिक्षा समिति टोंक जरिये सचिव बाबूलाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण नि. तालकटोरा टोंक
2. आयुक्त नगरपरिषद टोंक
3. तहसीलदार टोंक
4. चकोली पत्नी मोहन पुत्री चतरा जाति माली निवासी सौलंगपुरा टोंक
5. माना पत्नी लडडू पुत्री चतरा जाति माली निवासी तुम्बीपुरा टोंक
6. बीना पत्नी प्रकाश पुत्री चतरा जाति माली निवासी नैनसुख की बगिया टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री महेश शर्मा —वकील वादीगण
श्री शिवप्रसाद शर्मा —वकील प्रतिवादीण

वाद पत्र बाबत— स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक—03/01/18

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण पिता चतरा पुत्र नाथू के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि ख.न. 3085/2 रकबा 16 बिस्वा कस्बा गर्वी टोंक मे स्थित है। उक्त भूमि के वादीगण के पिता एक मात्र खातेदार काश्तकार थे। वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। किन्तु अभी तक वादीगण के पिता की विरासत का अमल दरामद नही हो पाया है। वादीगण उनके पिता की छोडी हुई आराजी पर काबिज है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। वादीगण की उक्त भूमि के अडवा ही उत्तरी ओर ख.न. 3085/1 रकबा 16 बिस्वा भूमि एवं ख.न. 3086 प्रतिवादी सं0 1 की भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 , प्रतिवादी सं0 2 व 3 से साज करके जबरन मेड तोडकर वादीगण की आराजी मे मजाहमत करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं0 1 ने नक्शा ट्रेस मे राजस्व कर्मचारियों से साज करके वादीगण का रकबा कम कर रखा है जिसके लिए वादीगण ने प्रथक से धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश कर रखा है। अतः प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी गण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 3085/2 है जिसके वादीगण के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उन्हे अपनी भूमि के उपयोग की अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं0 1 की भूमि ख.न. 3085/1 मे कब्जा करना चाहते हो। अपितु अपनी भूमि की आड मे वादीगण कब्जा करना चाहते है। वादीगण की भूमि के लगवा ही प्रतिवादी सं0 1 की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 आये दिन परेशान करता रहता है। प्रतिवादीगण को उक्त वाद मे अधिकार नही है। वाद खारिज किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2066–69, नक्शा ट्रेस, मतदाता पहचान प., आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, मौका रिपोर्ट, ऑर्डर शीट आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण प्रार्थीगण ने शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पक्षाकारो मे राजीनामा हो गया है। अतः नजदीकी तारीख पेशी मे पत्रावली शीघ्र तलब की जावे।

प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, पत्रावली आज 3.1.2018 को तलब की गई।

दोनो पक्षो मे राजीनामा हो गया है। प्रकरण मे प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रकरण मे लोक अदालत की भावना से वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार भूमि ख.न. 3085/2 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा गर्बी टोंक मे प्रतिवादीगण , वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत एवं मदाहखलत नही करेंगे। वाद उक्त राजीनामे के अनुसार वाद डिक्री कर दिया जावे। पूर्व– पश्चिम नाम नक्शा ट्रेस अनुसार रहेगी। उत्तर–दक्षिण पूर्वी भाग 72.5 फिट तथा उत्तर दक्षिण पश्चिमी भाग 82 रहेगा जिसमे प्रतिवादीगण किसी प्रकार से कोई मजाहमत नही करेंगें। वाद मुताबिक राजीनाम डिक्री कर दिया जावे।

हमने लायक वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2066–69 से विवादित भूमि ख.न. 3085/2 रकबा 16 बिस्वा के वादीगण के पिता रिकार्डेड खातेदार साबित है उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध प्रतीत नही होता है। प्रकरण मे दोनो पक्षो द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया है। चूंकि वाद पत्र में अंकितानुसार दोनो पक्षो ने एक दूसरे के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखे है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस मे ख. न. 3085 ही अंकित है, नक्शा ट्रेस मे अभी तक बटा नंबर अंकित नही है। अतः स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि की मेडे आपस मे मिलती है। इस कारण दोनो पक्षो मे विवाद है तथा एक दूसरे की भूमि मे मजाहमत करने के वाद पेश कर रखे है। चूंकि प्रकरण मे दोनो पक्षो ने एक दूसरे की खातेदारी मे मजाहमत नही करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत किये है। चूंकि सरकार की मंशानुरूप न्यायालय मे प्रकरणो की अधिकता, लम्बी प्रक्रिया एवं न्याय मे विलम्ब के कारण पक्षकारो के मध्य विवादो का निपटारा राजीनामे के आधार पर किया जाकर शीघ्र निपटारा किये जाने का उदेश्य है। उक्त मंशा एवं सरकार के उदेश्यापूर्ति हेतु पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार से मजाहमत नही करे।

आदेश

अतः वाद का वादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आ0 ख.न. 3085/2 रकबा 16 बिस्वा, ग्राम कस्बा टोंक गर्बी, तहसील टोंक राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की उक्त भूमि मे किसी प्रकार से मजाहमत नही करे। राजीनामे के अनुसार पाबन्द रहेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/01/18....... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

1. हरली देवी बेवा चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
2. गोपाल पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
3. कन्हैया पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
4. सत्यनारायण पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
5. हरिनारायण पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक

— वादीगण

बनाम

1. सेन्ट सोल्जर शिक्षा समिति टोंक जरिये सचिव वाबूलाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण नि. तालकटोरा टोंक
2. आयुक्त नगरपरिषद टोंक
3. तहसीलदार टोंक
4. चकोली पत्नी मोहन पुत्री चतरा जाति माली निवासी सौलंगपुरा टोंक
5. माना पत्नी लडडू पुत्री चतरा जाति माली निवासी तुम्बीपुरा टोंक
6. बीना पत्नी प्रकाश पुत्री चतरा जाति माली निवासी नैनसुख की बगिया टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री महेश शर्मा —वकील वादीगण
श्री शिवप्रसाद शर्मा —वकील प्रतिवादीण

दावा—बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

दावा नं0 95/2014

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि **वाद का वादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आ0 ख.न. 3085/2 रकबा 16 बिस्वा, ग्राम कस्बा टोंक गर्बी, तहसील टोंक राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की उक्त भूमि मे किसी प्रकार से मजाहमत नही करे। राजीनामे के अनुसार पाबन्द रहेंगे।**

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03/11/18 को जारी किया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोट:—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, टोंक